...य सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर0ए0एस)

...जस्व वाद संख्या –11/2019

दायर दिनांक –22.04.2021

निर्णय दिनांक – 22.10.2021

जीसीएमएस नं0 –2019/00064

वादीया	बनाम	प्रतिवादी
1. श्रीमती शुभा जैन पत्नी श्री ललित जैन निवासी 137, आदर्श नगर अजमेर।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर जिला अजमेर।

राजस्व वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–1. श्री एस0के0चौधरी, अधि0, प्रार्थीगण

2. पैरोकार सरकार तहसीलदार पुष्कर

–: निर्णय :–

वादी द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय से प्रस्तुत किया कि ग्राम गनाहेड़ा तहसील पुष्कर जिला अजमेर स्थित आराजी की वर्तमान जमाबन्दी के खाता संख्या 1030 नया 1 पुराना के खसरा नम्बरान 2072/2909 रकबा 0.11है0, 2073/2588 रकबा 0.02है0, 2073/2910 रकबा 0.01है0, 2074/2908 रकबा 0.44है0, 2074/2911 रकबा 0.02है0, किस्म बारानी 2 स्थित है जो कि वादी की खातेदारी की आराजीयात् है। उक्त आराजी पर अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा किया गया अतिक्रमण हटाने व वादीया की उक्त खसरान की सीमा पर पत्थरगढ़ी करवाने हेतु वादीया द्वारा वाद–पत्र प्रस्तुत किया गया।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने के पश्चात् दर्ज रजिस्टर किया गया एवं नोटिस प्रतिवादी को जारी किये गये। जिसकी अनुपालना में प्रतिवादी तहसीलदार, पुष्कर द्वारा हाजिर होकर जवाब पेश किया गया। इस संबंध में पैरोकार सरकार तहसीलदार द्वारा पत्र क्रमांक/तह. पुष्कर/विविध/2019/1197 दिनांक 04.07.2019 द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत जवाब में कथन किया कि **"वादग्रस्त भूमि के कथन के सम्बन्ध में की गई मुताबित मौका जांच एवं सीमाज्ञान दिनांक 09.03.2019 को सीमाज्ञान करने पर पाया गया कि मौके पर एक पक्की कोठरी व झोंपड़िया बनी हुई है एवं मौके पर कोई उपस्थित नहीं मिला मौके पर पूछताछ कि गई तो बताया कि कालबेलिया एवं अन्य घुमक्कड़ जाति के**

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.12.02 10:40:45 IST
Reason: SelfAttested

22.10.21

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

व्यक्तियों की है जिनके नाम किसी ने नहीं बताया। प्रश्नगत भूमि शुभा जैन पत्नी ललित जैन की खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एवं मौके पर अतिक्रमी घुमक्कड़ जाति के होने से नाम पता के बारें में कोई जानकारी नहीं मिली। अतः उपरोक्त प्रकरण में भू–राजस्व अधिनियम 1955 की धारा 128 पत्थरगढी में माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी में पुष्कर में वाद दर्ज कर अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है।"

वादी अभिभाषक द्वारा सरकार जवाब प्रस्तुत होने पर वाद में बहस सुने जाने का निवेदन किया। वादी अभिभाषक व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वादी अभिभाषक ने वाद पत्र में दर्ज कथनों को दोहाराते हुए वाद–पत्र के साथ संलग्न जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 में दर्ज वादी के नाम वादग्रस्त आराजीयात् के इन्द्राज को दिखाया गया।

वाद–पत्र में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजात् के आधार पर तथा पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत जवाब आदि का गहनता से अध्ययन किया गया दस्तावेजों पर मनन किया गया। वाद–पत्र पर वादी अभिभाषक एवं पैरोकार सरकार को वाद पत्र पर सुना गया। पत्रावली का मनन किया गया। वादी की ओर से जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 में स्पष्ट है कि वादी वादग्रस्त आराजी ख0न0 2072/2909, 2073/2588, 2073/2910, 2074/2908, 2074/2911, के रिकॉर्डेड खातेदारी काश्तकार है। प्रतिवादीगण उपरोक्त आराजीयात् पर नाजायज कब्जा कर कच्ची झोपडियां, शौचालय व पक्का निर्माण कर काबिज है।

ग्राम गनाहेड़ा जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 खाता संख्या 1030 नया 1 पुराना के खसरा नम्बरान 2072/2909 रकबा 0.11है0, 2073/2588 रकबा 0.02है0, 2073/2910 रकबा 0.01है0, 2074/2908 रकबा 0.44है0, 2074/2911 रकबा 0.02है0, किस्म बारानी 2 की जमाबन्दी व पैरोकार सरकार की रिपोर्ट के आधार पर वादी की खातेदारी भूमि से अतिक्रमण हटाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 के अन्तर्गत उक्त अतिक्रमियों को विवादग्रस्त आराजी से बेदखली के आदेश पारित किये जाते है। तहसीलदार पुष्कर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आराजीयात् से अतिक्रमियों को बेदखल करें आवश्यक्ता होने पर पुलिस इमदाद लिया जाकर निर्णय की पालना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2021 को मेरे हस्ताक्षरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.12.02 10:40:45 IST
Reason: SelfAttested

22.10.21

सुखाराम पिण्डेल
उपखण्ड अधिकारी
(आर0ए0एस)
पुष्कर (अजमेर)